

सीसीएस (आचरण) नियम १९६४ के नियम १८(४)के अंतर्गत शेयरों, प्रतिभतियों, डिबेचरों आदि से लेन देन और म्यूचुअल फंड योजनाओं आदि में किए गए निवेश की जानकारी देने हेतु प्रोफोर्मा

१. नाम और पदनाम
२. वेतनमान और वर्तमान वेतन
३. शेयरों, प्रतिभतियों, डिबेचरों, म्यूचुअल फंड योजनाओं आदि में वर्ष २०__ में किए गए प्रत्येक निवेश का विवरण
४. उस पार्टी/कंपनी का विवरण जिसके साथ लेन देन किया गया
 - क. क्या पार्टी आवेदक से संबंध रखती है ?
 - ख. क्या आवेदक का अधिकारिक तौर पर पार्टी के साथ किसी समय कोई संपर्क रहा है अथवा निकट भविष्य में उसका पार्टी से कोई संबंध हो सकता है ?
५. वित्त का अथवा के स्रोतः
 - क. व्यक्तिगत बचतः
 - ख. अन्य स्रोतों का विवरण दें:
६. अन्य कोई संबंधित जानकारी जिसका उल्लेख आवेदक करना चाहता हो:

घोषणा:

मैं एतद्वारा घोषणा करता हुं कि उक्त विवरण सत्य है ।

स्थान:

हस्ताक्षर

तिथि:

पदनाम

विभाग

कर्मचारी संख्या